

17/07/23 पञ्जावली पेश हुई। व्यस्तता के कारण निर्णय लिखापा नहीं जा सका। पञ्जावली वाले निर्णय / आदेश दिनांक

31/07/23 को पेश हो।

31/07/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जावली उपस्थित। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया जाकर लक्ष्य पर मन्तव्य उपरोक्त प्रा. पुत्र धारा 136, भू-राज. अधि., 1956 साक्षित होने के आधार पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से रचित कराया गया। और यह निर्णय शुल्क ० थाया तय में सुनाया गया। लक्ष्मी लक्ष्मी के रजवाले को इस हलु लक्ष्मी जारी हो। पत्रावली पासल शुमार हो पत्र नंबर से रज होकर दारिजल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लोक

